

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (म.प्र.)

// विज्ञप्ति //

इस कार्यालय के शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02 ए.व्ही.2010 टाटा इंडिगो जी.एल.एक्स मॉडल 2007 की निलामी की कार्यवाही निम्न शर्तों के अधीन की जाना है :—

1. उक्त शासकीय वाहन की निलामी की न्यूनतम राशि 1,50,000/-निर्धारित की गयी है।
2. उक्त वाहन की निलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि रूपये 5000/- का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के नाम से अथवा नगद राशि प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग मंदसौर में जमा की जावे।
3. उक्त अमानत राशि निलामी की कार्यवाही उपरांत वापसी योग्य होगी।
4. उक्त वाहन की निलामी की कार्यवाही दिनांक **02–03 अगस्त 2019** को न्यायालय परिसर मंदसौर में प्रातः 11:00 बजे से प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग मंदसौर के निर्देशन में सम्पन्न की जावेगी।
5. निलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि आवेदन के साथ प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, मंदसौर को जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निलामी की समस्त कार्यवाही में अंतिम निर्णय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर का होगा।

(12-7-19)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वास्ते— मंदसौर म.प्र.